







COFFY

JFL/NSE-BSE/2024-25/30

August 07, 2024

**BSE Ltd.**P.J. Towers, Dalal Street
Mumbai – 400001

National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex Bandra(E), Mumbai – 400051

Scrip Code: 533155 Symbol: JUBLFOOD

Sub: Submission of copies of Newspaper advertisements

Ref: <u>Disclosure under Regulation 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India</u> (<u>Listing Obligations and Disclosure Requirements</u>) Regulations, 2015 ('Listing Regulations')

Dear Sir/Madam.

In continuation of our letter no. JFL/NSE-BSE/2024-25/28 dated August 6, 2024 and pursuant to Regulation 30 and 47 of Listing Regulations, please find enclosed herewith copies of newspaper advertisements published today i.e. August 7, 2024 in Mint (English) & Rashtriya Sahara (Hindi) regarding completion of dispatch of Notice of 29th Annual General Meeting including e-Voting information and Integrated Annual Report for FY 2023-24 through electronic mode.

The copies of newspaper advertisements are also being disseminated on the Company's website at <a href="https://www.jubilantfoodworks.com/investors-governance-newspaper-publications">https://www.jubilantfoodworks.com/investors-governance-newspaper-publications</a>.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

For Jubilant FoodWorks Limited

Mona Aggarwal Company Secretary and Compliance Officer Investor E-mail id: investor@jublfood.com Encl: A/a



# Top cos eye legal options over SC ruling

CORPORATE

The apex court has upheld the rights of states to collect tax on mining activities and held that royalty paid to states on minerals does not qualify as tax

Naman Suri & Nehal Chaliawala

NEW DELHI/MUMBA

op Indian metal and mining companies, such as Tata Steel and Hindustan Zinc Ltd (HZL), are waiting to see how things unfold following the recent Supreme Court judgment that allowed states to tax minerals mined in their jurisdiction on top of central

However, they are not averse to taking legal recourse if things get uncomfortable, their top executives told *Mint*.

Tata Steel will explore legal options regarding any dues that may arise if the Supreme Court rules that its judgment will be applicable retrospectively, while HZL will also move the courts if any "immoderate" demands are raised.

On 25 July, a nine-judge constitution bench of the Supreme Court

upheld the rights of states to collect tax on mining activities and held that royalty paid to states on minerals does not qualify as tax. The apex court reserved its verdict on the ret $rospective \, applicability \, of \, the \, rule.$ 

"If the government [levies] anything which is not in the Constitution, then we can go to court; but if it is (levying) something in line with the Supreme Court [judgment], it will be for everyone," said Sandeep Modi, CFO of HZL, adding that there is no material impact on the company from retrospective taxation.

To be sure, solicitor general Tushar Mehta said in the Supreme Court last Tuesday that such a verdict if applied retrospectively could impose a financial burden of ₹70,000-80,000 crore on public sector units (PSUs).

Tata Steel has even noted contingent liabilities of ₹17,347 crore in its financial statements pending clarity on the matter, the company said in a regulatory disclosure on Friday.

"There's no demand [raised



Tata Steel plans to move court if mining tax is made applicable retrospectively.

against us]. So, it's not necessary that we have to pay that amount. But we have to fight that now. So, there'll be a lot of litigation," T. V. Narendran, Tata Steel's managing director, told Mint during a post-

The company had in FY06

ment was challenged by the state of Odisha in the apex court. Industry experts believe that if the

ruling is made retrospective, it would be difficult for companies to pass on the liability to end users. In some cases, the state taxes payable |

would be higher than the net worth of concerned companies, which could lead to bankruptcy.

At the same time, executives of Tata Steel and HZL said that even when levied prospectively, these costs would have a cascading effect on the industry and trickle down to consum-

"Most of these corporate entities are now sincerely hoping that the SC should levy this only prospectively," said S. R. Patnaik,

partner (head-taxation) at law firm Cyril Amarchand Mangaldas. "If the SC decides this levy to be

presumed to be unconstitutional because the SC is merely interpreting the constitution and according to its decision, the present constitution requires that the beneficiaries should be liable to pay royalty retrospectively," he added.

While companies are

seeking legal counsel,

experts are not very

hopeful. "As far as it con-

cerns demands already

made by the states, there

is hardly any legal

recourse for companies.

In fact, some companies

have already provi-

sioned for it," said

Aakash Bajaj, partner at

made retrospectively, it cannot be

### **EXPERTS**

**EXPERTS** say if ruling is retrospective, it would be difficult for firms to pass on liability to end users.

**SOME** fear that there could be an incidence of GST on the royalties being charged by states.

> law firm Khaitan & Co. Bajaj represented Lafarge India in the company's dispute with the state of Rajasthan over dues similar to the Tata Steel-Odisha case, and several other cases over the years on which the Supreme Court

"However, if states take an adventurous interpretation of the judgment and now raise demands, that can be challenged in the courts," he

Experts also fear that there could be an incidence of goods and services tax (GST) on the royalties being charged by states after the Supreme Court ruled that royalties are not a

"There are also questions relating to the demand for payment of GST on royalty, which had been stayed (we act on such matters in Karnataka) on the ground that royalty was atax. If the judgment is made retrospective, demands for arrears of GST may arise," said Aditya Narayan,

managing partner at Saakshya Law. There could be prolonged litigation and economic uncertainty, and the episode might even deter invest ments and strain companies financially, experts said.

announced its judgment last month.

naman.suri@livemint.com

Neha Joshi in Mumbai contributed

mint

earnings call.


Think Ahead. Think Growth.

## Connecting you to **Global Insights!**

Discover comprehensive business news & perspectives curated by the **Leaders in Journalism** 

THE WALL STREET JOURNAL.





## **NOIDA**

New Okhla Industrial Development Authority Main Administrative Building, Sector-6, Noida, G.B. Nagar (U.P.)

#### **E-TENDER NOTICE**

received demands amounting to

₹129 crore in terms of state levies on

its mines in Odisha, and had chal-

lenged the constitutional validity of

the levies in the high court of Odi-

sha. The high court had held that the

state does not have the authority to

levy taxes on minerals. This judg-

E-Tenders are invited from eligible contractors/firms for the following iobs against which bids can be uploaded and same shall be opened/downloaded as per schedule mentioned. The details and conditions of all tenders are available on Noida Authority's officia website: www.noidaauthorityonline.in & https://etender.up.nic.in. Please ensure to see these website for any changes/amendments &

COLL	corngendum etc.							
Sr. No.	Job Number	Name of Work	Amount (Rs)	Publishing				
1)		Theme Painting of walls in Noida for Swachh Survekshan 2024	13916900.00	Ist Time				

The above tenders can be uploaded From dated 07.08.2024 to 21.08.2024 upto 5.00 PM. The Pre-Qualification shall be opened/ downloaded on dated 22.08.2024 at 11.00 AM

(Public Health)

CLEAN, GREEN, SAFE & SECURE NOIDA

### **CENTRAL RAILWAY**

E-TENDER NOTICE

Digitally signed online open E Fenders are invited by Sr.DEE/TRD/Nagpur, from established Contractors for execution of the following work on Nagpur Division of Central Railway E-Tender Notice No: NGP-ELECT TRD-2024-25-11, dated 01.08.2024 Name of work: Replacement of M/s NICCO make Contact Wire having silver brazed joint for improving reliability and safety in Nagpur Division of Central Railway. stimated Cost of work: Rs ,14,59,820/- (One Crore, Fourtee) Lakhs, Fifty-Nine thousand, Eigh nundred and Twenty Rupees only) Earnest Money Deposit: Rs. 2,07,300.00/-.(Two Lakhs, Seven Thousand and Three Hundred submission of tender: 23.08.2024 t 15:00 Hours. Website address Γhe relevant details about this Ε Fender & for online participation in E endering are available on Railwa ebsite www.ireps.gov.in

(TRD), CR, Nagpu

Date: 05.08.2024

अपने जानवरों को रेल लाइन से दूर रखे

## INDORE MUNICIPAL CORPORATION, INDORE

**PROJECT CELL** NIT No.: 05/Project Cell/
NOTICE INVITING TENDERS (NIT)

Indore Municipal Corporation invites online proposals for "Consultancy Services for Project Management (PMC) for the Development of Master Plan Roads under Special Assistance Scheme and other Major Roads in Indore." RFP documents can be downloaded and purchased from Gov. MP Online Tendering Portal https://mptenders.gov.in Completion Cost of Farnest Last date

S. No.	Online Tender No.	Name of Work	Period Estimated Cost of Work	Cost of Tender Form (₹)	Earnest money deposit (₹)	for Submission of Tender
1	2024_UAD_ 361965_1	Assistance Scheme and other Major Roads in Indore (Package-1)	3 Years/ ₹ 100.00 CR	₹ 15,000/-	₹ 2,00,000/-	05.09.2024
2	2024_UAD_ 361968_1	Consultancy Services for Project Management (PMC) for the Development of Master Plan Roads under Special Assistance Scheme and other Major Roads in Indore(Package-2)	3 Years/ ₹ 100.00 CR	₹ 15,000/-	₹ 2,00,000/-	05.09.2024
3	2024_UAD_ 361970_1	Consultancy Services for Project Management (PMC) for the Development of Master Plan Roads under Special Assistance Scheme and other Major Roads in Indore(Package-3)	3 Years/ ₹ 100.00 CR	₹ 15,000/-	₹ 2,00,000/-	05.09.2024
4	2024_UAD_ 361974_1	Consultancy Services for Project Management (PMC) for the Development of Master Plan Roads under Special Assistance Scheme and other Major Roads in Indore (Package-4)	3 Years/ ₹ 100.00 CR		₹ 2,00,000/-	05.09.2024

Note: (1) One consultant shall be awarded One Package only.

(2) The Tenders shall be opened in chronological order of Package 1, 2, 3 & 4. Only one Package shall be awarded to a single bidder. If a bidder found Rank-1 in one bid, then its financial bid for next packages shall not be opened.

(3) Amendment to NIT, if any would be published on website only.

GST will be paid extra as applicable as per govt. circulars to the contractor. All other taxes will be paid by the consultant only. **Superintending Engineer** (Project Cell) Indore Municipal Corporation, Indore

**Chart a course** to clarity!



Data rich, visual reporting with **Mint Plain Facts** 

Read only on **mint** 

JUBILANT FOODWORKS LIMITED

CIN: L74899UP1995PLC043677

Regd. Office: Plot No. 1A, Sector -16A, Noida – 201301, Uttar Pradesh Corporate Office: 15<sup>th</sup> Floor, Tower-E, Skymark One, Plot No. H-10/A, Sector - 98, Noida - 201301, Uttar Pradesh Tel: +91-120-6927500; +91-120-6935400

Website: www.jubilantfoodworks.com, E-mail: investor@jublfood.com

NOTICE OF THE 29<sup>™</sup> ANNUAL GENERAL MEETING AND

**REMOTE E-VOTING INFORMATION** In compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('Act') and rules made thereunder, Securities and Exchange Board of India (Listing

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Genera Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, read with subsequent circulars issued from time to time, the latest one being General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 ('MCA Circulars') & SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1. CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and subsequent circulars issued from time to time, the latest one being SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 ('SEBI Circulars') (MCA Circulars and SEBI Circulars collectively referred as 'Circulars'), NOTICE is hereby given that the Twenty-Ninth (29<sup>th</sup> Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Jubilant FoodWorks .imited ('Company') will be held on Thursday, August 29, 2024 at 11:00 a.m (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ('VC/OAVM') vithout the physical presence of the Members at the AGM, to transact the pusiness(es) as set out in the Notice convening the 29th AGM ('AGM Notice') Members attending the AGM through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

Report for FY 2023-24 ('Integrated Annual Report') has been sent only through electronic mode to those Members whose email IDs are registered with the Company/Registrar and Transfer Agent ('RTA')/Depository Participant ('DP') The emailing of AGM Notice to all members has been completed or August 06, 2024. The aforesaid documents are also available on the Company's website a

In compliance with the Circulars, AGM Notice along with the Integrated Annua

https://www.jubilantfoodworks.com/investors/reports-presentations, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited at <u>www.nseindia.com</u> and on the website of Nationa Securities Depository Limited ('NSDL') at <a href="www.evoting.nsdl.com">www.evoting.nsdl.com</a>.

Members whose email IDs are already registered with the Company/RTA/DP, may follow the instructions for remote e-Voting as well as e-Voting at AGM a provided in the AGM Notice.

embers who have not registered their email IDs, are requested to register the ame for receiving all communications including Integrated Annual Report, Notices etc. from the Company electronically as per process mentioned below (i) Members holding equity shares of the Company in demat form are requested

to approach their respective DP and follow the process advised by DP. (ii) Members holding equity shares of the Company in physical form may register/update the details in prescribed Form ISR-1 and other relevant Forms with Company's RTA, Link Intime India Pvt. Ltd. at <a href="delhi@linkintime.co.in">delhi@linkintime.co.in</a> Members may download the prescribed Forms from the Company's website at https://www.jubilantfoodworks.com/investors-shareholder-information

In compliance with provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Secretarial Standards on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015 ('Listing Regulations'), as amended, read with MCA Circulars, the Members will be provided with the facility to cast their vote electronically, through the remote e-Voting facility (prior AGM) and e-Voting facility (at the AGM), on all the resolutions set forth in AGM Notice. The facility of casting votes will be provided by NSDL. Facility for e-Voting at the AGM will be made available to those Members who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the resolutions through remote e-Voting. The Members who have voted through remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However they will not be eligible to vote at the AGM. All the Members are informed that:

1. The business(es) as set forth in the AGM Notice will be transacted through voting by electronic means in the form of e-Voting.

The voting rights of Member(s) shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. Thursday, August 22, 2024. Any person who is a member of the Company as on cut-off date is eligible to cast vote electronically through remote e-Voting

or e-Voting at the AGM on all the resolutions set forth in the AGM Notice. Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the Company sends the AGM Notice and holding shares as on cut-off date i.e. Thursday, August 22, 2024, may obtain the User ID and password by sending an email to <a href="mailto:evoting@nsdl.co.in">evoting@nsdl.co.in</a> or <a href="mailto:investor@jublfood.com">investor@jublfood.com</a> by mentioning their Folio No./DP ID and Client ID for casting their vote However, if a person is already registered with NSDL for remote e-Voting ther

existing User ID and password can be used for casting the votes. Remote e-Voting facility will be available during the following period:

Commencement of remote e-voting Monday, August 26, 2024, (09:00 a.m. IST) End of remote e-voting | Wednesday, August 28, 2024 (05:00 p.m. IST) The remote e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not

be allowed to change it subsequently. During this period, Members holding shares either in physical form or ir  $dematerialized form\,may\,cast\,their\,vote\,by\,remote\,e\text{-Voting}\,before\,the\,AGM.$ 

The Members will be provided with the facility for e-Voting at the AGM and those Members participating at the AGM, who have not already cast their vote by remote e-Voting before the AGM, will be eligible to vote at the AGM.

The Members who have voted through remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM. Detailed process and manner of remote e-Voting, e-Voting at the AGM and

instructions for attending the AGM through VC/OAVM is provided in the AGM Notice and also available on the Company's website at https://www.jubilantfoodworks.com/company-reports/agm-notices and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

Members may send a request to evoting@nsdl.co.in for procuring User id and password for e-Voting by providing documents as mentioned in the AGM Notice.

10. In case of any queries related to e-Voting, please refer the Frequently Asked Questions and e-Voting user manual for Members available at the download section of <a href="www.evoting.nsdl.com">www.evoting.nsdl.com</a> or call on toll free no.: 022 - 48867000 and 022 - 24997000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager,  $NSDL\ at\ \underline{evoting@nsdl.co.in}\ who\ will\ also\ address\ the\ grievances\ connected$ with the voting by electronic means.

1. The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Rupesh Agarwal Managing Partner, (Membership No. ACS 16302), failing him, Mr. Lakhan Gupta, Partner, (Membership No. FCS 12682) of M/s. Chandrasekaran Associates, Practicing Company Secretaries, as scrutinizer to scrutinize the process for remote e-Voting and e-Voting at the AGM in a fair and

12. The Results shall be declared within stipulated time under applicable laws and the same, along with the consolidated Scrutinizer's Report, shall be placed on the website of the Company (www.jubilantfoodworks.com), NSDL (<u>www.evoting.nsdl.com</u>), and shall be communicated to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

For Jubilant FoodWorks Limited

Date: 06.08.2024 (Mona Aggarwal)



नई दिल्ली। बुधवार ● 7 अगस्त ● 2024

# गरीबों को सस्ता घर देने को डीडीए लाएगा आवासीय योजना

**नई दिल्ली (एसएनबी)।** दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) जल्द ही शहरभर के गरीबों के लिए सस्ता आवास योजना-2024 लाएगा। इसके लिए सामान्य वर्ग के लिए प्राधिकरण जल्द ही वर्ष 2023 की कीमतों के आधार पर एमआईजी, एचआईजी श्रेणी के फ्लैटों की योजना की घोषणा करेगा। यह जानकारी प्राधिकरण ने बोर्ड बैठक के बाद जारी बयान में दी है। उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में संपन्न हुई बोर्ड बैठक में प्राधिकरण ने नजूल की 23 संपत्तियों की पट्टा अवधि के नवीनीकरण-सह -फ्री होल्ड के लिए एक एमनेस्टी योजना का सहमति दी गयी है। बैठक में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सुभाशीष पंडा समेत सभी सदस्य एवं अधिकारी मौजूद थे।

डीडीए ने घोषणा की है कि वह जल्द ही शहर के सभी वर्गों के लिए अलग-अलग तीन तरह आवासीय योजनाएं घोषित करेगा। पहली आवासीय योजना सस्ता घर आवास योजना-2024 में करीब 34000 एलआईजी एवं ईडब्ल्यूएस फ्लैट शामिल होंगे। पहले आओ, पहले पाओ योजना के तहत यह फ्लैट रामगढ़ कालोनी, सिरसपुर, लोकनायक पुरम, रोहिणी एवं नरेला में होंगे और इनकी कीमत 11.5 लाख रुपए के करीब होगी। इसके साथ ही सामान्य आवास योजना-2024 की जल्द ही घोषणा की जाएगी। इसमें करीब 5400 एलजीआईजी, एमआईजी एवं एचआईजी श्रेणी के फ्लैट शामिल होंगे। इन फ्लैटों की कीमत 29 लाख रुपए रखी गई है और यह फ्लैट जसोला, लोकनायमपुरम एवं नरेला में होंगे। तीसरी आवास योजना -2024 में कुल 173 फ्लैट शामिल होंगे। इनका आवंटन ई-नीलामी प्रक्रिया के तहत किया जाएगा और इनकी निर्धारित कीमत 1.28 करोड़ रुपए रखी

गई है, यह फ्लैट द्वारका स्थित सेक्टर-14,

16बी एवं 19बी में होंगे।

अधिकारी ने बताया कि शहर की स्वच्छता को एवं रखरखाव को और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए डीडीए ने गाजीपुर स्थित बायो

मिथेनाइजेशन प्लांट लिए आवंटित जमीन के भू-उपयोग परिवर्तन की अनुमति दे दी है। इसके प्राधिकरण ने दिल्ली के लोगों के लिए

सामुदायिक केंद्रों के प्रबंधन एवं उनके उपयोग के लिए नई नीति को मंजूरी दी गयी है। इसमें बहुउद्देशीय सामुदायिक केंद्रों के किराए की संरचना में छूट दी गयी है। यह नीति चरणों में तैयार की गयी है। इसमें ऑनलाइन बुकिंग के लिए सामुदायिक केंद्रों और आसपास के खले स्थान भी शामिल हैं। इनकी बुकिंग पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर ऑन लाइन

बुकिंग पोर्टल के

माध्यम से की जाएगी।

दिन पहले की जा सकेगी और एक व्यक्ति को एक बार में 5 दिन से अधिक समय के लिए सामुदायिक केंद्र नहीं मिलेगा। इस सुविधाओं को लाइसेंस के आधार पर संचालित करने का

पहले आओ-पहले पाओ के

23 नजूल की संपत्तियों के

नवीनीकरण के प्रस्ताव को

सामुदायिक केंद्रों के

एनडीएमसी के जेजे

आवंटन के लिए नई नीति को

कलस्टर के पात्रों को नरेला में

तहत 11.5 लाख में मिलेगा घर

प्रस्ताव है। इसमें डीडीए अपनी संपत्ति को ई-नीलामी के माध्यम से 5 साल के लिए लाइसेंस दे सकेगा। बहुउद्देशीय जबिक

सामुदायिक केंद्रों को एक साथ नीलामी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस केंद्रों में मल्टी जिम, योग, वाचनायल, वरिष्ठ नागरियों के

लिए कमरा, इनडोर खेल, फूड क्योस्क और बैंक एटीएम की सुविधा की अनुमति

डीडीए अधिकारी ने बताया कि लाइसेंस आधार पर आवंटित केंद्रों का इस्तेमाल केवल शादी समारोह, सामाजिक -सांस्कृतिक समारोह आदि के लिए किया जा सकेगा। डीडीए ने अपने आवंटित आवासीय,वाणिज्यिक

एवं औद्योगिक भूखंडों के निर्माण को पूरा करने की निर्धारित अवधि यह बुकिंग कार्यक्रम की तारीख से 120 को 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दिया है। इसका

जिन्होंने भूमि का प्रीमियम जमा करा दिया है। डीडीए ने 23 नजूल स्टेट में आवासीय एवं मिश्रित भूमि उपयोग के समाप्ति अवधि के पट्टों (90 साल) के नवीनीकरण और फ्री होल्ड रूपांतरण में योजना के शरू होने की तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए बढ़ाने का प्रस्तास है। हालांकि इन दोनों तरह की जमीन के नवीनीकरण का शुल्क अलग-अलग प्रस्तावित है और भूखंडों के आकार पर इसमें बदलाव होगा। इस योजना के तहत भूगतान के बाद ही नवीनीकरण किया जाएगा।

बोर्ड बैठक में एनडीएमसी स्थित 5855 जेजे कलस्टर में जलापूर्ति, नियंत्रण कक्ष, काली बाड़ी के पात्र परिवारों को नरेला स्थित ईडब्ल्यूएस श्रेणी के फ्लैटों में स्थानांतरित को मंजूरी दे दी गई है। यह जेजे कलस्टर सीबीडब्ल्यूडी की जमीन पर स्थित है। यह जमीन आरएमएल के निर्धारित है। इसके अलावा अन्य झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले पात्रों को भी फ्लैट आवंटन की योजना बनाई जाएगी। डीडीए के अधिकारी ने बताया कि सीआरपीएफ के लिए ट्रांजिट कैंप के निर्माण के लिए गृह मंत्रालय को आवंटित 1.94 एकड़ भूमि के सीएलयू के स्थान पर 7,847,97 वर्ग मीटर (1.94 एकड़) के लिए सार्वजनिक और अर्द्ध सार्वजनिक से मनोरंजन के लिए भू-उपयोग परिवर्तन की मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए डीडीए जल्द ही आपत्तियां एवं सुझाव मांगेगा। गाजीपर स्थित पॉकेट सी में 40300 वर्ग मीटर जमीन का इस्तेमाल एकीकृत माल ढुलाई परिसर के लिए किया गया है। दिल्ली नगर निगम के अनुरोध पर डीडीए ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सभी तरह की संपत्तियों में वर्ष 2023-24 की तुलना में 10 फीसद की

बढ़ोतरी को मंजुरी दे दी है।

कोचिंग सेंटर हादसा : सीबीआई

अदालत में दाखिल की जमानत याचिका

नई दिल्ली (एसएनबी)। ओल्ड

राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर के

बेसमेंट में पानी भरने से तीन छात्रों की मौत मामले में चार आरोपियों ने राऊज

एवेन्यू कोर्ट में अपनी जमानत याचिका

दाखिल की है। कोर्ट उनकी जमानत

याचिका पर ७ अगस्त को सुनवाई करेगा।

इससे पहले यह मामला तीस हजारी कोर्ट

में चल रहा था, लेकिन हाईकोर्ट ने इस

मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी

थी। इस वजह से तीस हजारी कोर्ट ने

उनके जमानत याचिका का निपटारा कर

दिया था और उन्हें सीबीआई अदालत में

जमानत याचिका दाखिल करने की छूट दे

दी थी। मजिस्ट्रेट की अदालत ने इस

मामले में परविंदर सिंह, तर्जिदर सिंह,

हरविंदर सिंह व सरबजीत सिंह को

जामनत देने से इनकार कर दिया था।

## आवंटियों को कब्जा देने से पहले संतुष्ट करेगा डीडीए

नर्ड **दिल्ली (एसएनबी)**। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने अपने आवंटियों को आश्वस्त किया है कि फ्लैट का कब्जा देने से पहले उन्हें पूरी तरह संतुष्ट किया जाएगा। इसके लिए डीडीए के अधिकारी आवंटी के साथ मिलकर साझा रूप से फ्लैट का निरीक्षण करेंगे और फ्लैट की किमयों को पूरा करेंगे। फ्लैटों का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के लिए डीडीए उपाध्यक्ष ख़ुद निगरानी कर रहे हैं और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक टावर के लिए अलग से सहायक इंजीनियरों की नियुक्ति की गई है।

जारी बयान में डीडीए ने कहा है कि टावर्स जे, के एवं एल में किसी तरह की कमी पाए जाने पर उसे दूर किया जाएगा।

निर्माण की गुणवत्ता बनाए रखना प्राथमिकता : डीडीए

🔳 जे, के एवं एल टावर के फ्लैटों के निर्माण के लिए मांगा

> के बाद इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारी साझा रूप से फ्लैट का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान फ्लैट

### 'इंडियन डीजे एक्सपो-2024' का आयोजन

नई दिल्ली (एसएनबी)। म्युजिक प्रोडक्शन, इवेंट्स और एंटरटेनमेंट से जुड़े तकनीकी उद्योग की तीन दिवसीय प्रदर्शनी 'इंडियन डीजे एक्सपो- 2024' का आयोजन प्रगति मैदान में होने जा रहा है। प्रगती मैदान के हॉल नम्बर 8,11 और 14 में 8-10 अगस्त तक रहेगा इस एक्सपो का आयोजन

इस बात की जानकारी इंडियन डीजे एक्सपो के संयोजक मैनुअल डायस ने मंगलवार को प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में दी। उन्होंने कहा कि तीन दिनों तक चलने वाले इस डीजे एक्सपो में 250 से अधिक ब्रांडस

अखबार इश्तहार नोटिस न्यायालय श्रीमान सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी, तहसील दयालपुर, फरीदाबाद मु0न0— 142/NTD/2 ता0 पेशी— 13/08/24 किस्म दावा—तकसी

के फ्लैटों का कार्य पूरा होने में थोड़ा समय

लगेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए आवंटियों

को आखिरी किस्त के भुगतान में एक महीने

की राहत दी गई है। प्राधिकरण का कहना है

कि फ्लैटों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना

उसकी पहली प्राथमिकता है। इसके लिए

प्रत्येक टावर में अतिरिक्त सहायक अभियंता

लगाए गए हैं। द्वारका स्थित 19बी गोल्फ व्य

कॉन्डोम के आवंटियों को आश्वस्त करते हुए

कहा है कि आवंटियों को कब्जा पत्र जारी होने

मौजा — पहलादपुर माजरा बदरौला बाअनुवान.....लीलावती बनाम ....कर्मवीर बगैरा शुद्धि पत्र उपरोक्त के सम्बंध में छपे विज्ञापन दिनांक 04-08

2024 में मु0न0- 142/NTD/23 की जगह गलर्त से मु0न0- 142/छज्ट/23 छप गया है कृपया इस सुधार कर मु0न0— 142/NTD/23 पढ़े व तथा शेष पूर्वतः रहेगा। असुविधा के लिए खेद है।

#### सार्वजनिक सूचना

निवासी 8/49, गीता दिल्ली-110031, सूचित करता हूँ कि मैं संपत्ति नंबर 8/49, Front Portion गीता कॉलोनी दिल्ली–110031, का एकमात्र गालिक / काबिज़ हूँ जो कि मुझे मेरी माताजी थ्रीमती मोहन देवी की मृत्यु के उपरांत उनकी वसीयत दिनांक 29.03.1989, के द्वारा प्राप्त हुई है, अगर किसी को इस सन्दर्भ में कोई गपित्त हो तो उपरोक्त पते पर संपर्क करे।

# 9560758520

### 🕦 पूर्व मध्य रेल 🐌 खुली ई-निविदा सूचना

कार्य का नाम एवं स्थान : 08 नंबरों की कमिंस इंज बी', 'सी' और 'डी' चेक) की मरम्मत और रखरखा सेवा / व्यापक एएमसी । पूर्व मध्य रेलवे, सोनपुर मंडल के तीन वर्षों (03 वर्ष) के लिए पीओएच के साथ टावर वैगनों / इंजनों की ओवरहालिंग । (इंजन मॉडल नं. NTA

2. कार्य का अनुमानित मुल्य (रू.): रू 5,10,25,831.12 3. जमानत राशि (रू.): रू. ४,०५,१००.००, निविदा प्रपत्र का मूल्य (क.): क 0/-, 4. ई-निविदा प्रपन्न जमा करने एवं खुलने की तिथि: ई-निविदा प्रपन्न जमा करने की र्घारित तिथि एवं समयः दिनांक 26.08.2024 के 12:00 बजे तक, ई-निविदा प्रपत्र खुलने का निर्धारि समयः दिनांक 26.08.2024 को 12:00 बजे वरिष्ठ मंडल वेद्युत इंजीनियर (क.वि.) कार्यालय, पूर्व मध रेल/सोनपुर में खोले जायेगें। **5. वेबसाईट एवं नोटिस** बोर्ड का लोकेशन जहाँ से ई-निविदा संबंधित पूण गानकारी प्राप्त की जा सकती है: वेवसाईट http://www.ireps.gov.in, नोटिस बोर्डः मंडल रेल प्रबंधक/सोनपुर के कैम्पस भवन, पूर्व मध

वरिय मंडल विद्युत इंजीनियर/ (क.वि)

855R और NT 855R)।

पूर्व मध्य रेल/सोनपुर पीआर/00843/एसईई/ईटीआरडी/टी/24–25/32

गाजीपुर नाले में डूबकर मां-बेटे की मौत का मामला

# हाईकोर्ट ने एमसीडी, डीडीए व पुलिस को लगाई फटकार

नई दिल्ली (एसएनबी)। गाजीपुर में एक महिला और उसके बेटे की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) व दिल्ली पुलिस की खिंचाई की। हाईकोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर नगर निगम अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहता है तो वह एमसीडी के अधिकारियों को निलंबित करने का निर्देश देना शुरू कर देगा।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि गाजीपुर क्षेत्र में नालों को ढकने या बैरिकेडिंग करने में अधिकारी विफल रहे हैं। पीठ ने क्षेत्र के लिए जिम्मेदार एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर से बातचीत करने के बाद टिप्पणी की कि वह सरकार से निगम को भंग करने के लिए भी कहेगा। अदालत ने कहा कि निगम अधिकारियों की विफलता पर आपराधिक लापरवाही का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। पीठ ने यह भी कहा, एमसीडी एक आरामदायक क्लब बन गया है. जहां आप जाते हैं, एक कप चाय पीते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। मैं आपको गारंटी दे सकता हुं कि अगर कोर्ट में मौजुद डिप्टी कमिश्नर कार्यालय नहीं आता है तो इससे जमीनी हालात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि यह एक उचित मामला है, जहां हम सरकार से सिफारिश करेंगे कि एमसीडी को भंग कर दिया जाना चाहिए।

पीठ ने कहा कि दिल्ली में हालात ऐसे ही चल रहे हैं? कैबिनेट मीटिंग की कोई तारीख नहीं है,



- कहा,नगर निगम अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहा, अदालत एमसीडी के अधिकारियों को निलंबित करने का निर्देश देना शुरू कर देगी
- मुझे लगता है कि यह एक उचित मामला है, जहां हम सरकार से सिफारिश करेंगे कि एमसीडी को भंग कर दिया जाना चाहिए : न्यायाधीश

स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग की कोई तारीख नहीं है। अगर कैबिनेट व स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग नहीं हो

रही है तो बजट कैसे स्वीकृत होगा? यह ऐसा है जैसे हम कह रहे हों कि हमारी कोर्ट बैठे बिना ही मामलों का फैसला हो जाएगा।

> पीठ ने एमसीडी को दुर्घटना वाले इलाके को खाली करने और बैरिकेड्स लगाने का आदेश दिया, ताकि नाले न खुले दिखें और न ही वहां कोई जा सके। अदालत ने दिल्ली पुलिस और डीडीए को भी मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। पीठ ने कहा कि वह इस बात पर निर्णय नहीं करेगी कि जिस क्षेत्र में मौतें हुईं, वह एमसीडी या डीडीए के अधिकार क्षेत्र में आता है या नहीं, क्योंकि यह पुलिस जांच का

पीठ ने उक्त टिप्पणी झुन्नू लाल श्रीवास्तव की याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें महिला और उसके बेटे की नाले में गिरने और डूबने से मौत हो गई थी। उसने डीडीए और एमसीडी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि तन्जा नामक 22 वर्षीय महिला व उसके 3 वर्षीय बेटे प्रियांश की नाले में गिरने से मौत हो गई थी। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि पीड़ित जलभराव के कारण नाले में गिर गए। पुलिस की जांच पर नाराजगी जताते हुए अदालत ने कहा कि पुलिस केवल नगर निगम अधिकारियों को नोटिस भेज रही है। फाइलों को जब्त करने या अधिकारियों से पूछताछ करने के लिए उसने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है।

#### दि गंगा किसान सहकारी चीनी मिल्स लि. मोरना (मुजफ्फरनगर) पिन-२५१३१६

ई-निविदा सूचना

अनुभवी एवं रजिस्टर्ड ठेकेदारों से इस मिल समिति के ब्वायलिंग हाउस, पैन स्टेशन तथा ब्वायलर हाउस में नान ए.सी. शौट लगाने का कार्य धरोहर धनराशि रु. 35000.00 हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है जिसका विस्तृत विवरण www.etender.up.nic.in पर दिनांक : 05.08.2024 से देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्र का मूल्र रु. 590.00 जी.एस.टी. सहित है। इस मिल सिमिति में फिड पम्प, सल्फाइटर जूस पम्प, ए-लाइट एत्तं ए-हैवी पम्प फाउण्डेशनों की गले/ हिले बोल्टों हेतु आर.सी.सी. फाउण्डेशनों की कोर कटिंग एवं आर.सी.सी. फाउण्डेशन की तोडाई/डिस्मेंटलिंग तथा रि-ग्राउटिंग कार्यों हेतु दिनांक : 12.08.2024 तक कुटेशन आमंत्रित की जाती है। एक अथवा सभी निविदा को निरस्त/स्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा। कार्य से सम्बन्धित जानकारी सिविल कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है।

अजय कमार राय (पी.सी.एस.) प्रधान प्रबन्धक



कार्यालय उपनिदेशक (वि./याँ.) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ.प्र. नवीन फल एवं सब्जी मण्डी स्थल साहिबाबाद, गाजियाबाद।

पत्रांक : वि./यां./गा./(कोटेशन)/2024-162 दिनांक : 06.08.2024

### ई-कोटेशन सूचना

कार्यालय पत्रांक वि./याँ-66 दिनांक 05.06.2024 द्वारा 13.06.2024 पत्रांक 84 दिनांक 15.06.2024 द्वारा दिनांक 25.06.2024 पत्रांक 97 दिनांक 26.06.2024, द्वारा दिनांक 04.07.2024 एवं पत्रांक 130 दिनांक 10.07.2024 को आमंत्रित ई-कोटेशन पुनः दिनांक 17.08.2024 को आमंत्रित किया जा रहा है जो उसी दिन 12.30 बजे कार्यालय उपनिदेशक (वि./यॉ.), नवीन फल एवं सब्जी मण्डी स्थल साहिबाबाद, गाजियाबाद में खोला जायेगा। ई-कोटेशन दिनांक 16.08.2024 को अपराह्न 5.00 तक वेबसाईट www. etender. up.nic.in पर ऑनलाईन भरकर अपलोड की जा सकती है। इसके उपरान्त वेबसाइट स्वतः बन्द हो जायेगी। संबंधित आवश्यक प्रपत्र ई-कोटेशन के साथ ही अपलोड किया जाना आवश्यक है। शेष नियम व शर्तें ऑनलाईन पढ़ी जा सकती है।

पत्रांक :- वि./याॅ./गा./2024-163 दिनांकः 06.08.24 **उपनिदेशक (वि./याॅ.)** 

### अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

<u>(धारा 82 Cr.P.C. देखिए )</u>

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त हर्ष उर्फ सानू उर्फ सिंधी पुत्र विनोद निवासी म. नं. 4355, गली नं. 112/1, सन्त नगर, बुराड़ी, दिल्ली ने केस एफआईआर नं. 366/2019 अन्तर्गत घारा 380/454 आईपीसी, थाना महेन्द्र पार्क, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त हर्ष उर्फ सानू उर्फ सिंधी मिल नहीं रहा है, और मुझे सामाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त हर्ष उर्फ सानू उर्फ सिंधी फरार हो गया हैं (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा हैं) इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि केस एफआईआर नं. 366/2019 अन्तर्गत घारा 380/454 आईपीसी, थाना महेन्द्र पार्क, दिल्ली के उक्त अभियुक्त हर्ष उर्फ सानू उर्फ सिंधी से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 10.09.2024 को या उससे पहले हाजिर हों। आदेशानुसार निहारिका कुमार शर्मा

DP/10255/NW/2024 (Court Matter)

एसीएमएम (उत्तर) कमरा नं. 117, प्रथम तल, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

#### सैक्टर-98. नोएडा-201301. उत्तर प्रदेश फोन: +91-120-6927500; +91-120-6935400 वैबसाइटः www.jubilantfoodworks.com, ईमेलः investor@jublfood.com 29वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना तथा

रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी

सीआईएन : L74899UP1995PLC043677

पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट 1ए, सैक्टर 16ए, नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेट कार्यालयः 15वां तल, टॉवर ई, स्काईमार्क वन, प्लॉट नं. एच-10/ए

ज़ुबिलैंट फूडवर्क्स लिभिटेड

ंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके तहत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों व प्रनुपालन में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरप आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 सामान्य परिपत्र संख्या 20 / 2020 दिनांक 05 मई, 2020 के सा ाठित, समय-समय पर जारी किए गए बाद के परिपत्रों के साथ पठित, जिनमें सबसे नवीनत सामान्य परिपत्र संख्या ०९ / २०२३ दिनांक २५ सितंबर, २०२३ ('एमसीए परिपत्र') और सेबी परिप संख्या SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 और समय-समय प जारी किए गए बाद के परिपत्र हैं, जिनमें सबसे नवीनतम SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P CIR/2023/167 दिनांक ७ अक्टूबर, 2023 ('सेबी परिपत्र') (एमसीए परिपत्र और सेबी परिप जिन्हें सामूहिक रूप से 'परिपत्र' कहा जाता है), के अनुसरण में एतद्दवारा **सूचना** दी जाती है वि जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की उनतीसवीं (29वीं) वार्षिक आम बैठव (एजीएम) गुरुवार, 29 अगस्त, 2024 को सुबह 11:00 बजे (आईएसटी) वीडियं कॉन्फ्रॅसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('वीसी/ओएवीएम') के माध्यम से आयोजिर की जाएगी, जिसमें एजीएम में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, 29वीं एजीएम के आयोजन की सूचना (एजीएम नोटिस) में निर्धारित व्यवसाय को पूरा किया जाएगा वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103

तहत कोरम के उद्देश्य से गिना जाएगा। परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना, वित्तीय वर्ष 2023–24 ("एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट") हे एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट सहित उन सदस्यों को केवल इलैक्ट्रॉनिक विधि से भेजी जा चुकी i जनकी ई-मेल आईडीज़ कम्पनी/रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए")/ डिपॉंजिटर पार्टिसिपेंटस ('डीपी')के पास पंजीकत हैं। सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा एजीएम सूचना भेज का कार्य 06 अंगस्त, 2024 को पूरा किया जा चुका है।

उपरोक्त दस्तावेज़ कम्पनी की वैबसाइट <u>https://www.jubilantfoodworks.com</u>, investors/reports-presentations पर तथा स्टॉक एक्सवेंजों नामतः बीएसई लिमिटे mvestors reports presentations पर पान पिराल प्रत्यक्षा भागर पारपाई पानिस् www.bseindia.com, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेंड www.nseindia.com, तथा नैशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉज़िटरी लिमिटेंड (एनएसडीएल) की वैबसाइ-

www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध हैं। जिन सदस्यों की ई–मेल आईडीज़ कम्पनी / आरटीए / डीपी के पास पहले से पंजीकृत हैं, वे एजीए में उपलब्ध कराए गए रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में ई-वोटिंग हेतु अनुदेशों का पालन करें।

जिन सदस्यों ने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं करवाई है, उनसे अनुरोध है कि वे अप पंजीकरण कंपनी से एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट, सूचनाओं सहित सभी संचार इलैक्ट्रॉनिक विधि से प्राप करने के लिए नीचे वर्णित प्रक्रिया के अनुसार करवा लें :

(i) सदस्यगण, जो कंपनी के इक्विटी शेयर भौतिक रूप में धारण किए हुए हैं, वह अपने संबंधित डीपी से संपर्क करें और डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया का पालन करने का अनुरोध किया जात

ii) सदस्यगण, जो कंपनी के इक्विटी शेयर भौतिक रूप में धारण किए हुए हैं, निर्धारित प्रपः आईएसआर—1 तथा अन्य संबद्ध प्रपत्रों में अपना विवरण कंपनी के आरटीए, लिंक इनटाइ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड <u>delhi@linkintime.co.in</u> पर भेजकर पंजीकृत, अपडेट् करवा सकते हैं। सदस्यगण निर्धारित प्रपन्न कंपनी की वैबसाइ https://www.jubilantfoodworks.com/investors-shareholder-information investor-forms से डाउनलोड कर सकते हैं।

अधिनियम की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सैक्रेटरीज़ ऑफ इंडिया द्वारा जारी सामान्य बैठकों में सचिवीय मानव (सचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 ('सचीबद्धत यथासंशोधित, के विनियम 44, के साथ पठित एमसीए परिपत्रों के अनुसरण में एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट, रिमोट ई—वोटिंग सुविधा के माध्यम एजीएम से पहले) तथा ई—वोटिंग सुविधा के माध्यम से (एजीएम में) डालने की सुविधा प्रदान कराई जाएगी। वोट डालने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जाएगी। एजीएम में ई–वोटिंग क सुविधा उन सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी, जो वीसी/ओएबीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम उपस्थित हैं और प्रस्तावों पर रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है। जो सदस् रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डाल चुके हैं, वे भी एजीएम में उपस्थित रह सकते हैं। हालाँकि एजीएम में वोट डालने हेतु पात्र नहीं होंगे। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि

एजीएम सूचना में निर्धारित व्यवसाय का निष्पादन ई-वोटिंग के रूप में इलैक्ट्रॉनिक साधन दारा वोटिंग के माध्यम से किया जाएगा।

सदस्य(ओं) के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि यानी गुरुवार, 22 अगस्त, 2024, को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे। कोई भी व्यक्ति, ज कट-ऑफ तिथि तक कंपनी का सदस्य है, वह एजीएम सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों प अपना बोट रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक विधि द्वार डालने के लिए पात्र है।

कोई व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के पश्चात् कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट—ऑफ तिथि यानी गुरुवार, 22 अगस्त, 2024 को शेयर्स का धारक है, वह अपना वोट डालने के लिए अपना फोलियों संख्या / डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी उल्लेखयुक्त एक ई–मेल evoting@nsdl.co.in अथवा investor@jublfood.com प भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, अगर कोई व्यक्ति रिमोत ई—वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत है, तो अपनी मौजूदा यूज़र आईडी और पासवर्ड का प्रयोग अपना वोट डालने के लिए कर सकता है।

रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगी:

रिमोट ई-वोटिंग की शुरुआत सोमवार, 26 अगस्त, 2024, (सुबह 09:00 बजे आईएसटी) रिमोट ई-वोटिंग का अंत बुधवार, 28 अगस्त, 2024 (शाम 05:00 बजे आईएसटी)

सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डाल दिए जाने के बाद उसको बदलने की अनुमित इस अवधि में, भौतिक अथवा अभौतिक रूप में शेयरों के धारक सदस्य अपना वोट एजीएम

एनएसडीएल द्वारा उसके बाद ई—वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार ज

पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा डाल सकते हैं। सदस्यों को एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कराई जाएगी तथा एजीएम में भाग ले रा वे सदस्य एजीएम में वोट डालने के पात्र होंगे, जिनके द्वारा एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग

द्वारा अपना वोट नहीं डाला गया है। जो सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल चुके हैं, एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे हालाँकि, वे एजीएम में वोट डालने के पात्र नहीं होंगे।

विस्तृत प्रक्रिया और रिमोट ई-वोटिंग, एजीएम में ई-वोटिंग की विधि तथा वीसी/ओएवीएग माध्यम से एजीएम में भाग लेने के निर्देश एजीएम सूचना में दिए गए हैं तथा कंपनी की वैबसाइट <u>https://www.jubilantfoodworks.com/company-reports/agm-notice</u> और एनएसडीएल की वैबसाइट <u>www.evoting.nsdl.com</u> पर भी उपलब्ध हैं।

सदस्यगण एजीएम की सूचना में उल्लिखित दस्तावेज़ प्रदान कराने के साथ evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर ई-वोटिंग के लिए यूज़र आईडी तथा पासवर्ड

 ई—वोटिंग के संबंध में किसी भी पूछताछ की स्थिति में कृपया www.evoting.nsdl.com व डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न तथा ई—वोटिं यूज्र मैनुअल देखें अथवा टोल फ्री नंबर: 022-48867000 या 022-24997000 पर कॉल करें अथवा सुश्री पत्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक एनएसडीएल को <u>evoting@nsdl.co.in</u> पर अनुरोध भेजें, जिनके द्वारा इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग से जुड़ी शिकायतों का समाधान किया

कंपनी के निदेशक मंडल ने श्री रूपेश अग्रवाल, प्रबंध साझेदार, (सदस्यता संख्या एसीएर 16302) को, उनकी अनुपस्थिति में, मेसर्स वंद्रसेकरन एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सैक्रेटरीज़ के साझेदार, श्री लखन गुप्ता (सदस्यता संख्या एकसीएस 12682) को निष्पक्ष और ारदर्शी तरीके से एजीएम में रिमोट ई—वोटिंग और ई—वोटिंग की प्रक्रिया की जांच करने के लिए जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है।

 परिणामों की घोषणा लागू कानूनों के तहत निर्धारित समय के भीतर घोषित किए जाएंगे और उन्हें समेकित संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ कंपनी की वैबसाइट (www.jubilantfoodworks.com), एनएसडीएल की वैबसाइट (www.evoting.nsdl.com पर प्रदर्शित किए जाएंगे और बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सवेंज ऑफ इंडिय लिमिटेड को सूचित किया जाएगा।

वास्ते जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड हस्ता./

दिनांकः 06.08.2024

(मोना अग्रवाल) कम्पनी सचिव

# पत्नी पूर्व पति को दे 15 लाखं हर्जाना: कोर्ट

सहारा न्यूज ब्यूरो

नर्ड दिल्ली।

तलाक के बाद भी अपने पूर्व पति को बिना आधार के बदनाम करने पर अदालत ने उसकी तलाकशुदा पत्नी को मानहानि करने का दोषी ठहराया है और उससे हर्जीने के रूप में पूर्व पति को 15 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। साकेत कोर्ट के न्यायाधीश सुनील बेनीवाल ने पाया कि पूर्व पत्नी के कृत्यों ने व्यक्ति को चोट पहुंचाई है और उसके पेशेवर विकास में बाधा

उत्पन्न की है। न्यायाधीश ने कहा कि पेश रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि महिला मानहानि के बराबर के कृत्यों में लिप्त है। वादी पति की ओर दाखिल ईमेल/चैट से साबित होता है कि महिला ने मानहानि की है और उसने उसका खंडन भी नहीं किया है। उसने उसे चुनौती भी नहीं दी है।

उन्होंने यह आदेश उस व्यक्ति की मानहानि के मामले में दिया है जिसने अपनी पूर्व पत्नी के खिलाफ मानहानि का दावा किया था। उसने आरोप लगाया था कि उसे बदनाम करने तथा उसके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण व झूठे मुकदमे किए हैं। इसके एवज में उसे हर्जाना दिलवाया जाए। दोनों की शादी वर्ष 2001 में

पेश रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि महिला मानहानि के बराबर के

तलाक के बाद भी पित

को बदनाम करने पर कोर्ट

का निर्देश

कृत्यों में लिप्त है : अदालत वादी पित की ओर दाखिल ईमेल/चैट से साबित होता है कि महिला ने मानहानि की है और उसने उसका खंडन भी नहीं किया है : न्यायाधीश

हुई थी। पित ने आरोप लगाया कि पत्नी वर्ष 2009 में अपनी नाबालिग बेटी के साथ ससुराल छोड़कर चली गई और कई अदालतों के समक्ष उसके और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मानहानि का आरोप लगाकर बिना

> शुरू कर दिया। व्यक्ति ने यह भी कहा कि उसकी पत्नी ने उसे अपनी बेटी से मिलने भी नहीं देती थी और उसे उसके प्यार व स्नेह से वंचित रखा। पत्नी ने अपने ईमेल के माध्यम से अपने दोस्तों के साथ चैट करते

आधार के झूठे मुकदमा करना

खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। पति ने कहा कि वर्ष 2021 में क्रूरता के आधार पर उसे तलाक मिल गया। तलाक के

समय उसके और उसकी मां के

बाद भी पत्नी ने उसके वृद्ध और बीमार मामा को ईमेल भेजकर उसे बदनाम करना जारी रखा। लगातार उत्पीड़न के कारण उन्हें मार्च 2022 में बड़ी सर्जरी करानी पड़ी जिसमें उन्हें छह लाख रुपए का खर्च आया। दूसरी ओर पत्नी ने तर्क दिया कि पति का मुकदमा झूठा, बिना आधार के, दुर्भावनापूर्णे व उसे परेशान करने के लिए दाखिल

किया गया है।

### एनबीएस को बेहतर ढंग से परिभाषित करने की

जरूरत : डॉ. वत्स

नई दिल्ली (एसएनबी)। इंडिया फोरम फॉर नेचर-बेस्ड सॉल्यूशंस (एनबीएस) ने सोमवार को अपना वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया। शहरी प्रकृति आधारित

जलवाय्

सकट न

स्वास्थ्य,

उत्पादकता

आजीविका

को बल्कि

प्रकृति व

जैव

सिर्फ

और

समाधानों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का संघ 2022 में लॉन्च किया गया। यह भारत में जलवायु के अनुकूल शहरों और समुदायों को आकार देने के लिए काम करने वाले रिसर्च, अभ्यास और वित्त संगठनों का एक गठबंधन है। इस अवसर पर

विविधता आपदा को भी राष्ट्रीय प्रबंधन प्राधिकरण के प्रभावित सदस्य डॉ. कृष्णा वत्स ने कहा कि एनबीएस को अभी

भी बेहतर ढंग से परिभाषित करने की जरूरत है। बायो-इंजीनियरिंग पर अधिक घटकों की खोज की जानी चाहिए। क्लॉडिया लोपेज, बोगोटा की पूर्व मेयर, हार्वर्ड 2024 एएलआई फेलो और डब्ल्यूआरआई की सलाहकार ने शहर के डिजाइन के भीतर निकटता के लिए निर्माण और देखभाल आधारित गतिशीलता को एकीकृत करने की सिफारिश की। पेड़ों के लिए और हरियाली के लिए भूमि अत्यंत महत्वपूर्ण है।